



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 208/2022 निर्णय दिनांक 21/06/22

**पन्डूकाना बनाम देवीलाल** | विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है।

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956**

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में प्रस्तुत कर संश्लेषतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.स.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	आसीन्द	2076-79	152-7	749/3262	0.16						

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

### क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक आसीन्द को 150/- रु./ की फीस पर कमीश्रर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीश्रर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प आसीन्द में मजमे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

सहायक कलक्टर (संदीप कुमार) आसीन्द देवीलाल

क्रमांक / रीडर / 2022/134

दिनांक 21/06/2022

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द देवीलाल

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	प्राथी / अप्राथी
1	श्रीमती चन्द्रकांत पुत्री श्री जगन्नाथ प्रसाद कलाल नि. आसीन्द	अप्राथी
2	श्रीमती लाल पुत्री गंगा मेवाडा नि. आसीन्द त-आसीन्द	do
3	श्रीमती लाल पुत्री वीसाल मेवाडा नि. आसीन्द त-आसीन्द	do
4	श्रीमती लाल मेवाडा पुत्री माधवलाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
5	श्रीमती लाल पुत्री माधवलाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
6	श्रीमती गाम्भी मेवाडा पत्नी श्री राजेन्द्र मेवाडा नि. आसीन्द त-आसीन्द	do
7	श्री लक्ष्मीलाल पुत्री माधवलाल मेवाडा नि. पं.मं. रोड आसीन्द	do
8	श्रीमती लाल पुत्री गणेशलाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
9	श्रीमती लाल पुत्री गणेशलाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
10	श्रीमती लाल पुत्री गणेशलाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
11	श्रीमती लाल पुत्री वीसाल मेवाडा नि. प्रेमनगर आसीन्द	do
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्री लक्ष्मीलाल प्रसाद मेवाडा नि. आसीन्द	do
13	राजस्थान सरकार जारिप वी मातृत्व मंडल कार्यालय आसीन्द	do
14	अविशेषी अधिकारी, नगरपालिका आसीन्द	do
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
आसीन्द जिला, भीलवाडा